

सम्पति अक्कार प्रमाण - पत्र

795
प्रमाण पत्र सं०...../2020

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Surender Red Gupta & others through Adv. P. V. Singh ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संबंधियों और अक्कारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संबंधियों और अक्कारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संबंधियों और अक्कारों का पता चला है:-

क्र. सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निस्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मुल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag No-228 Ranchi Khata No. 320 plot no. 1094 & 1091 Area: 16.50 dec				NIL			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-कथक -पत्र की दशा में ध्याज का दर और गुफतान की अवधि दर्ज करें। वशात कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहारों और अकारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अकार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

हस्ताक्षर AS

(पदनाम)- 21-6-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम)-

कार्यालय S. R. O. Kanur

तारीख 21-6-23



निदेशन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

21-6-2023

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो सव्यवहारों और अकार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों के प्रमाणित सव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निदेशन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति महिला और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपि देखना चाहते हैं अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हैं, अथवा जिन्हें निबंधित संपत्तियों अकारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। निबंधित संपत्ति का मुपदान करने पर महिलाएँ एवं अनुक्रमणियाँ उनके नामों रस दी जायगी।

(2) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी किमाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेदार नहीं होगी।

(3) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़ गए सव्यवहारों और अकारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए किमाग आवेदक द्वारा न दूढ़ गये ऐसे सव्यवहारों अकारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

जी. 2 (6) रि. 21-6-23 882 S. P. Gupta & other का

नं. 20 20 42 manager S. B. I. Ranchi का

निदेशन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (अंक)

21-6-2023